UPLL010023592022

<u>In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.</u>

<u>Sessions Case/312/2022</u>

STATE OF U.P. Vs. Samyak Jain s/o Pradeep

<u>C H A R G E</u>

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण साहिल रजक, मयंक नामदेव, मनीष पुरोहित व शक्ति बाल्मीकि को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनॉक 20.09.2021 को मनीष पुरोहित के मकान सामने आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी के पुत्र दीपेन्द्र साहू की मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया। यदि आपके उक्त कृत्य से मृत्यु होती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी के पुत्र को मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना की दिनाँक व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा आशय के अग्रसारण में वादी के पुत्र को बुरी–बुरी गालियां देकर साशय अपमानित किया गया, जिससे लोक शान्ति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि घटना की दिनाँक व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी के पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–27.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–27.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2022.10.27 16:26:18 KRAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPLL010023592022

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/312/2022

STATE OF U.P. Vs. Samyak Jain s/o Pradeep

CHARGE

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण सम्यक जैन व केशव साहू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनॉक 20.09.2021 को समय 3 बजे व स्थान इलाइट चौराहा पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी के पुत्र दीपेन्द्र साहू की कहासुनी को लेकर मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा आशय के अग्रसारण में वादी के पुत्र को बुरी–बुरी गालियां देकर साशय अपमानित किया गया, जिससे लोक शान्ति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी के पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–27.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–27.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

<u>In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.</u>

<u>Sessions Case/312/2022</u>

STATE OF U.P. Vs. Samyak Jain s/o Pradeep

27.10.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण शक्ति वाल्मिकी पुत्र दिलीप बाल्मिकी, मनीष पुरोहित पुत्र दिनेश, मंयक नामदेव पुत्र पुरुषोत्तम, साहिल रजक पुत्र मुकेश रजक, सम्यक जैन पुत्र प्रदीप जैन व केशव साहू पुत्र राज कुमार साहू समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए आरोप हेतु पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनाँक 20.09.2021 को समय 3 बजे इलाइट चौराहे पर अभियुक्त सम्यक जैन व केशव साहू द्वारा वादी के पुत्र को मारापीटा गया तथा गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी और फिर उसी दिनाँक को मनीष पुरोहित के घर के सामने वादी के पुत्र को अभियुक्तगण साहिल रजक, मयंक नामदेव, शक्ति बाल्मीकि व मनीष पुरोहित ने सामान्य आशय के अग्रसारण में मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की , जिससे वादी/चुटहिल की मृत्यु हो जाना संभाव्य थी तथा गाली–गलौज करके जान से मारने की धमकी दी गयी। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण सम्यक जैन व केशव साहू के विरूद्ध धारा 323 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 व धारा 506 भा.द.सं. सपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं अभियुक्तगण साहिल रजक, मयंक नामदेव, मनीष पुरोहित व शक्ति बाल्मीकि के विरुद्ध 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 एवं 506 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण सम्यक जैन व केशव साहू के विरूद्ध धारा 323 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 व धारा 506 भा.द.सं. सपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं अभियुक्तगण साहिल रजक, मयंक नामदेव, मनीष पुरोहित व शक्ति बाल्मीकि के विरुद्ध 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 एवं 506 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 30.11.2022 को पेश हो।

दिनॉक–27.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।